प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के सफल कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में गठित "राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति "State Level Sanctioning and Monitoring Committee (SLSMC) की दिनांक 26.12.2018 (बुधवार) को सम्पन्न 13वीं बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति – संलग्न

78/08-01-2019

केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) झारखण्ड राज्य में जून, 2015 से क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी आवास विहीन शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना है। वर्त्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) राज्य के सभी शहरी निकायों में क्रियान्वित है, जिसके विभिन्न घटको तहत आवास निर्माण कार्य किया जा रहा है।

सचिव द्वारा विषय प्रवेश कराते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (PMAY-U) तृतीय घटक–"भागीदारी में किफायती आवास" (AHP) के तहत निमित DPR की विस्तृत जानकारी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से दी गयी, तत्पश्चात् सदस्यगण द्वारा बैठक की कार्यावली पर विस्तार से बिन्दुवार विमर्श किया गया। विचार–विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्न वर्णित निर्णय लिए गए :–

<u>प्रस्ताव सं० I</u>

(क) गत बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि की गई।

(ख) गत बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन पर समिति के द्वारा संतोश व्यक्त किया गया **(परिशिष्ट क)**

<u>प्रस्ताव सं० II</u>– प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक "भागीदारी में किफायती आवास" अंतर्गत चाईबासा, चक्रधरपुर एवं जमशेदपुर (बागुनहातू) में एक–एक परियोजना कुल 3 परियोजनाओं अंतर्गत कुल 2,948 आवासों (G+4 प्रारूप में) के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांकः 29.11.2017 की 28वीं एवं दिनांकः 30.05.2018 की 34वीं Central Sanctioning & Monitoring Committee (CSMC) की बैठक में अनुमोदन दिया गया था।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक–"भागीदारी में किफायती आवास" के क्रियान्वयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या 5382 दिनांकः 02.11.2018 निर्गत किया गया है। साथ ही, परियोजना अन्तर्गत आवासों के निर्माण हेतु आवश्यकतानुसार भूमि चिन्हित की गई थी, किन्तु उक्त भूमियों के सीमांकन/हस्तांतरण के क्रम में उपलब्ध भूमि में बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी हुई है।

फलस्वरूप परियोजनाओं के DPRs को संशोधित किया गया है, जिसके अंतर्गत चाईबासा, चक्रधरपुर एवं जमशेदपुर (बागुनहातू) में एक–एक परियोजना अर्थात् कुल 3 परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 4,060 आवासों (G+3 प्रारूप में) का निर्माण किया जाना है।

योजना की कुल तकनीकी अनुमोदित राशि 2,82,39,89,000/– रू० (दो सौ बिरासी करोड़ उनचालिस लाख नवासी हजार मात्र) है, जिसपर मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के आलोक में समिति द्वारा योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना विवरणी निम्नवत् है :–

Sl. No.	ULB	Location	Original Approval by SLSMC & CLSMC					Revised Approval by SLSMC		
			CSMC No.	Date of approval	Area (in Acres)	No. of DUs	Project Cost (in lakhs)	Area (in Acres)	No. of DUs	Project Cost (in lakhs)
1	Jamshedpur*	Bagunhatu	28	29.11.17	65.23	10436	77075.64	16.11	2480	17125.25
2	Chaibasa	Shalihatu	34	30.5.18	2.29	448	3110.09	3.00	460	3272.20
3	Chakradharpur	Potka			9.36	1700	11836.37	8.00	1120	7842.44
Total										28239.89

78
08-01-2019

*Note: On 28th CSMC dated 29th November'2017, 10436 DUs were approved in 13 projects at 13 locations in Jamshedpur. There have been changes in approved project locations, on account of non-transfer of same land parcels from district administration. At present one project of 2480 DUs at Bagunhatu, Jamshedpur out of those 13 locations is proposed for revised approval. Earlier, at Bagunhatu 800 DUs were sanctioned on 5.0 Acre of land, whereas at present proposal is for 16.11 acre of land for 2480 DUs. Revised approval may also be sought on remaining 12 locations depending on actual land transferred by district administration.

उपरोक्त के आलोक में संशोधित प्रस्ताव भारत सरकार (CSMC) को भेंजने का निर्णया लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व लाभुकों से सहमति प्राप्त कर ली जाए।

प्रस्ताव सं० III– प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक "भागीदारी में किफायती आवास" अंतर्गत Cluster-II के निकायों यथा आदित्यपुर में दो तथा सरायकेला में एक परियोजना कुल 03 परियोजनाओं अंतर्गत कुल 5,612 आवासों के G+4 प्रारूप में भारत सरकार द्वारा दिनांक 29.11.2017 की 28वीं, दिनांक 30.05.2018 की 34वीं एवं दिनांक 29.05.2018 एवं दिनांकः 27.12.2018 की 29वीं Central Sanctioning & Monitoring Committee (CSMC) की बैठक में अनुमोदन दिया गया था।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक–"भागीदारी में किफायती आवास" के क्रियान्वयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या 5382 दिनांकः 02.11.2018 निर्गत किया गया है। साथ ही, परियोजना अन्तर्गत आवासों के निर्माण हेतु आवश्यकतानुसार भूमि चिन्हित की गई थी, किन्तु उक्त भूमियों के सीमांकन/हस्तांतरण के क्रम में उपलब्ध भूमि में बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी हुई है।

उपरोक्त के आलोक में उक्त परियोजनाओं के DPRs को संशोधित किया गया, जिसके अंतर्गत आदित्यपुर में दो एवं सरायकेला में एक परियोजना कुल 3 परियोजनाओं अंतर्गत कुल 6,200 आवासों (G+3 प्रारूप में) का निर्माण किया जाना है।

योजना की कुल तकनीकी अनुमोदित राशि 430,34,60,000/– (चार सौ तीस करोड़ चौतीस लाख, साठ हजार मात्र) रू० है, जिसपर मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या 301

दिनांक 11.03.2015 के आलोक में समिति द्वारा योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना विवरणी निम्नवत् है :–

Sl. No.	ULB	Location	Original Approval by SLSMC & CLSMC					Revised Approval by SLSMC		
			CSMC No.	Date of approval	Area (in Acres)	No. of DUs	Project Cost (in lakhs)	Area (in Acres)	No. of DUs	Project Cost (in lakhs)
1	Adityapur	Mirudih	28	29.11.17	25.78	3040	20754.43	28.98	4120	28285.80
2		Kasidih	34	30.05.18	17.84	2520	17268.30	16.66	2020	14281.25
3	Seraikela	Nawadih	29	27.12.17	0.65	52	423.00	0.65	60	467.55
	Total									43034.60

उपरोक्त के आलोक में संशोधित प्रस्ताव भारत सरकार (CSMC) को भेजने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व लाभुकों से सहमति प्राप्त कर ली जाए।

78
08.01.2019

<u>प्रस्ताव सं० IV</u>– उपरोक्त प्रस्ताव संख्या **II** एवं **III** अंतर्गत परियोजनाओं हेतु निर्मित किए जाने वाले सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य पृथक निविदा के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया। उस पर होने वाला व्यय राज्य योजना के **"शहरी जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज, नगरीय आधारभूत संरचनाएँ, आवास आदि शहरी योजनाएँ"** मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि कार्य प्रारंभ करने के साथ ही आवंटियों की समिति बना दी जाय, ताकि वे निर्माण के दौरान गुणवत्ता का अनुश्रवण कर सकें।

<u>प्रस्ताव सं० V</u>– समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि Standard Bid Document तैयार कर निविदा समिति से Vetting कराने के उपरान्त उसपर जुडको के निदेशक पर्षद का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। Standard Bid Document में किसी प्रकार के Cost escalation या Bonus clause जैसे प्रावधान नहीं रखे जाएं। साथ हीं G+3 की अधिकतम समय सीमा 18 माह तथा G+6/G+8 के लिए यह अधिकतम सीमा 24 माह तक रखी जाए।

<u>प्रस्ताव सं० VI</u>– नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या 6821 दिनांकः 14.12.2016 के आलोक में सर्वश्री JUIDCO Ltd. को Centage Charge देय होगी। जुडको लि० को देय Centage Charge एवं योजना के DPRs एवं PMC हेतु परामर्शियों को भुगतेय परामर्शी शुल्क का भुगतान राज्य योजना मद के "शहरी योजना एवं परियोजना प्रबंधन हेतु सहाय्य अनुदान" मद में उपबंधित राशि से सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।

<u>प्रस्ताव सं० VII</u>– योजना क्रियान्वयन जुडको लि० के द्वारा कराया जायेगा। PMAY(U) अंतर्गत योजनाओं का कार्य राशि के अभाव में अवरूद्ध नहीं हो एवं राशि के प्रबंधन में सुगमता हो, इसलिए इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जुडको लि० द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक में एक अलग खाता संचालित कर उसका Integration PFMS (Public Finance Management System) से कराया जायेगा। निर्णय लिया गया कि आवश्यकतानुसार जुडको लि० द्वारा राशि की मांग/परियोजना प्रगति प्रतिवेदन उपस्थापित करने पर

विभागीय संकल्प संख्या 5382 दिनांकः 02.11.2018 की कंडिका–14 एवं 15 के आलोक में निदेशालय स्तर पर संधारित Jharkhand Affordable Housing Development Fund (JAHDF) से राशि जुडको लि० के संबंधित बैंक खाते में हस्तांतरित की जा सकेगी।

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के आलोक में यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त निर्णयों पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर प्रशासनिक स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाए।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई सम्पन्न की गई।

(सुधीर त्रिपाठी)
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञापांक : 07 / न०प्र०नि० / PMAY(HFA) / 01 / 2015....78..... राँची / दिनांक :08/01/2019

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव / सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव / बैठक में उपस्थित सभी सदस्यगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।